

# कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigamdhamtari.org, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax - 07722-241599

--: मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना :-

क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/मैनु.निवि./2020/ 781 धमतरी, दिनांक 2/6/2020

नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा पार्श्व/एल्डरमेन निधि अंतर्गत 08 विभिन्न जोनल कार्य (जोनवार/वार्डवार नवीन सीमेंट क्रांरीट मार्ग, नाली, बस स्टाप, उद्यान, मूत्रालय, चबूतरा निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था/बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार/मुक्तिधाम का उन्नयन/विद्युतीकरण आदि कार्य) के लिए छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से छत्तीसगढ़ के पी.डब्ल्यू.डी. भवन, सड़क एवं विद्युत यांत्रिकी एस.ओ.आर 2015 एवं पी.एच.ई. एस.ओ.आर. 2013 (अद्यतन संशोधित) अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य सम्पादन हेतु निविदा प्रपत्र "A" में दिनांक 3.7.2020 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त कार्यों का निर्धारित अनुमानित लागत, अमानत राशि, निविदा की सामान्य शर्तें, निविदा दस्तावेज व कार्य से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी विभागीय वेबसाईट तथा डाटा सेंटर रायपुर के वेबसाईट [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) से भी डाउनलोड की जा सकती है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम धमतरी

धमतरी, दिनांक 2/6/2020

पु.क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/मैनु.निवि./2020/ 782  
प्रतिलिपि -

01. मान.महापौर, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. मान अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
03. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी।
04. प्रभारी सदस्य, लोक कर्म, नगर पालिक निगम धमतरी।
05. कार्यालय कलेक्टोरेट, जिला - धमतरी।
06. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), धमतरी।
07. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
08. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चस्पा करने हेतु।
09. ग्रंथपाल, नगर पालिक निगम धमतरी को प्रकाशन पश्चात निविदा सूचना का पेपर कतरन प्रस्तुत करने हेतु।
10. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड करे तथा डाटा सेंटर रायपुर को भेजे।
11. संपादक, प्रतिनिधि, दैनिक ~~...~~ समाचार पत्र को 2X से. मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने तथा प्रकाशन उपरांत विज्ञापन सहित अखबार 02 सेट में तत्काल लोक कर्म शाखा में प्रस्तुत किये जाने हेतु।

कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम धमतरी



# कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigamdhamtari.org, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax - 07722-241599

--: मैनुअल पद्धति से निविदा आमंत्रण सूचना :-

क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/मैनु.निविदा/2020/781

धमतरी, दिनांक 12/6/2020

- |     |   |   |                               |
|-----|---|---|-------------------------------|
| 01. | निविदा प्रपत्र कय करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि | - | 23/06/2020 कार्यालयीन अवधि तक |
| 02. | निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि             | - | 26/06/2020 कार्यालयीन अवधि तक |
| 03. | निविदा जमा करने की अंतिम तिथि                   | - | 03/07/2020 कार्यालयीन अवधि तक |
| 04. | निविदा खोलने की तिथि                            | - | 04/07/2020 प्रातः 12:00 बजे   |

नगर पालिक निगम, धमतरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में पार्षद/एल्डरमेन निधि अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिये छ.ग. के लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा जारी कार्यवार निम्नवत् प्रभावशील दर अनुसूची अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य संपादन हेतु दिनांक 03.07.2020 को समय 05:30 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है -

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि	प्रभावशील दर अनुसूची
01	02	03	04	05	06	07	08
01.	वार्ड क्रमांक 01 से 05 में नवीन सीमेंट क्रांकीट मार्ग, नाली, बस स्टाप, उद्यान, मूत्रालय, चबूतरा निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था / बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार/मुक्तिधाम का उन्नयन/विद्युतीकरण आदि कार्य।	20.00	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	कार्यादेश अनुसार	छ.ग. लो.नि.वि. के भवन, सड़क, विद्युत यांत्रिकी एस.ओ.आर 2015 एवं पी. एच.ई. एस.ओ.आर. 2013 (अद्यतन संशोधित अनुसार)
02.	वार्ड क्रमांक 06 से 10 में नवीन सीमेंट क्रांकीट मार्ग, नाली, बस स्टाप, उद्यान, मूत्रालय, चबूतरा निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था / बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार/मुक्तिधाम का उन्नयन/विद्युतीकरण आदि कार्य।	20.00	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	कार्यादेश अनुसार	छ.ग. लो.नि.वि. के भवन, सड़क, विद्युत एवं पी.एच. ई. एस.ओ.आर. 2015 (अद्यतन संशोधित अनुसार)
03.	वार्ड क्रमांक 11 से 15 में नवीन सीमेंट क्रांकीट मार्ग, नाली, बस स्टाप, उद्यान, मूत्रालय, चबूतरा निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था / बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार/मुक्तिधाम का उन्नयन/विद्युतीकरण आदि कार्य।	20.00	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	कार्यादेश अनुसार	छ.ग. लो.नि.वि. के भवन, सड़क, विद्युत यांत्रिकी एस.ओ.आर 2015 एवं पी. एच.ई. एस.ओ.आर. 2013 (अद्यतन संशोधित अनुसार)
04.	वार्ड क्रमांक 16 से 20 में नवीन सीमेंट क्रांकीट मार्ग, नाली, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन/बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार कार्य/विद्युत एवं मेकिनकल का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था एवं चबूतरा निर्माण कार्य	20.00	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	कार्यादेश अनुसार	छ.ग. लो.नि.वि. के भवन, सड़क, विद्युत यांत्रिकी एस.ओ.आर 2015 एवं पी. एच.ई. एस.ओ.आर. 2013 (अद्यतन संशोधित अनुसार)
05.	वार्ड क्रमांक 21 से 25 में नवीन सीमेंट क्रांकीट मार्ग, नाली, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन/बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार कार्य/विद्युत एवं मेकिनकल का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था एवं चबूतरा निर्माण कार्य	20.00	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	कार्यादेश अनुसार	छ.ग. लो.नि.वि. के भवन, सड़क, विद्युत यांत्रिकी एस.ओ.आर 2015 एवं पी. एच.ई. एस.ओ.आर. 2013 (अद्यतन संशोधित अनुसार)
06.	वार्ड क्रमांक 26 से 30 में नवीन सीमेंट क्रांकीट मार्ग, नाली, बस स्टाप, उद्यान, मूत्रालय, चबूतरा निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था / बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार/मुक्तिधाम का उन्नयन/विद्युतीकरण आदि कार्य।	20.00	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	कार्यादेश अनुसार	छ.ग. लो.नि.वि. के भवन, सड़क, विद्युत यांत्रिकी एस.ओ.आर 2015 एवं पी. एच.ई. एस.ओ.आर. 2013 (अद्यतन संशोधित अनुसार)
07.	वार्ड क्रमांक 31 से 35 में नवीन सीमेंट क्रांकीट मार्ग, नाली, बस स्टाप, उद्यान, मूत्रालय, चबूतरा निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था / बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार/मुक्तिधाम का उन्नयन/विद्युतीकरण आदि कार्य।	20.00	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	कार्यादेश अनुसार	छ.ग. लो.नि.वि. के भवन, सड़क, विद्युत यांत्रिकी एस.ओ.आर 2015 एवं पी. एच.ई. एस.ओ.आर. 2013 (अद्यतन संशोधित अनुसार)
08.	वार्ड क्रमांक 36 से 40 में नवीन सीमेंट क्रांकीट मार्ग, नाली, बस स्टाप, उद्यान, मूत्रालय, चबूतरा निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था / बोर खनन/पाईप लाईन विस्तार/मुक्तिधाम का उन्नयन/विद्युतीकरण आदि कार्य।	20.00	15000.00	750.00	डी एवं उच्च वर्ग	कार्यादेश अनुसार	छ.ग. लो.नि.वि. के भवन, सड़क, विद्युत यांत्रिकी एस.ओ.आर 2015 एवं पी. एच.ई. एस.ओ.आर. 2013 (अद्यतन संशोधित अनुसार)




शर्त :-  
01.

- निविदा में भाग लेने, निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 23.06.2020 को कार्यालयीन समयावधि सायं 05.30 बजे तक निम्नांकित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा में जमा करना अनिवार्य है -
01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
  02. निर्धारित बैंक सात्वेंसी सर्टीफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
  03. पेन कार्ड, गत 03 वित्तीय वर्ष (2016-17 से 2018-19) का आयकर विवरणी।
  04. शासन नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र।
  05. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीयन प्रमाण पत्र।
  06. 50.00 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में रिश्तेदार कार्यरत नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।

उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकार ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उन्हें निविदा प्रपत्र जारी किया जायेगा। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।


02. जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जायेगा।
03. निर्धारित तिथि/समयावधि के उपरांत निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही निविदा प्रपत्र विक्रय किये जायेंगे।
04. निविदा प्रपत्र क्रय हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क नियमानुसार कार्यालय में निविदा प्रपत्र कय के लिए आवेदन के साथ संलग्न/प्रस्तुत दस्तावेज सही पाये जाने की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से (जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी के नाम पर देय हो) निर्धारित तिथि/समयावधि में ही जमा करना अनिवार्य होगा।
05. निविदा दर एस.ओ.आर. से अत्यधिक कम प्राप्त होने पर शासन निर्देशानुसार निर्धारित परफार्मेंस गारंटी राशि सूचना के 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।
06. शासन से इस मद में राशि प्राप्त होने/मद में राशि की उपलब्धता अनुसार ही संपादित कार्य का देयक भुगतान किया जावेगा।
07. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में शासन के समस्त प्रचलित आदेश/निर्देश एवं श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा।
08. सम्पादित कार्य के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकवरी होती है, तो इसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से की जावेगी।
09. अन्य शर्तें तथा विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समयावधि में निगम कार्यालय के पी.डब्ल्यू.डी. शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम धमतरी  
धमतरी, दिनांक 12/6/2020

पृ.क्रमांक/कार्य.अभि./लोक कर्म/निविदा/2020/ 782  
प्रतिलिपि -

01. मान. महापौर, नगर पालिक निगम धमतरी।
02. मान.अध्यक्ष (स्पीकर), नगर पालिक निगम धमतरी।
03. प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग, नगर पालिक निगम धमतरी।
04. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी
05. उपायुक्त महोदय, नगर पालिक निगम धमतरी
06. कार्यालय कलेक्टर, जिला - धमतरी।
07. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी।
08. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी।
09. सहायक लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम धमतरी।
10. प्रेषक, नगर पालिक निगम धमतरी को सूचना फलक में चस्पा करने हेतु।
11. डाटा सेन्टर प्रभारी, नगर पालिक निगम धमतरी। उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट में अपलोड करें तथा डाटा सेन्टर रायपुर को भेजे।

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम धमतरी



# कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला - धमतरी (छ.ग.)

Website - www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID - commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax No. 07722-241599

—: पार्षद एवं एल्डरमेन निधि अंतर्गत 08 विभिन्न जौनल कार्यों (वार्डवार/जोनवार नवीन कांक्रीट मार्ग, नाली, बस स्टॉप, उद्यान मूत्रालय, चबूतरा निर्माण, सार्वजनिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक भवन का संधारण एवं भवन में नयी सुविधाओं की व्यवस्था, बोर खनन, पाईप लाईन विस्तार, मुक्तिधाम का उन्नयन, विद्युतीकरण कार्य) के लिए नियम एवं निविदा शर्तें :-

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 781 दिनांक 12.06.2020 तहत विज्ञापित कार्य के लिए निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों/ठेकेदारों/फर्मों का लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ही ठेकेदारी का पंजीयन होना अनिवार्य है।
02. विज्ञापित कार्य की निविदा में भाग लेने, निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 23.06.2020 को कार्यालयीन समयावधि सायं 05.30 बजे तक निम्नांकित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति निगम कार्यालय के लोक कर्म शाखा में जमा करना अनिवार्य है -
  01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत वैध ठेकेदारी पंजीयन प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
  02. कार्य की निविदा लागत के कम से कम 15 प्रतिशत लागत राशि के बराबर या अधिक राशि का बैंक साल्वेंसी सर्टिफिकेट (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)
  03. पेन कार्ड, विगत 03 वित्तीय वर्षों (2016-17 से 2018-19) का आयकर रिटर्न।
  04. शासन नियमानुसार जी.एस.टी. में पंजीयन प्रमाण पत्र।
  05. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) में पंजीयन प्रमाण पत्र।
  06. 50.00 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निविदा प्रपत्र/आवेदन में आवेदक फर्म के संबंध में उल्लेखित जानकारी सत्य होने, दस्तावेज प्रमाणित होने, किसी भी विभाग की काली सूची में दर्ज या डिबार नहीं होने एवं नगर पालिक निगम धमतरी में निकटतम रिश्तेदार कार्यरत नहीं होने की जानकारी सत्य होने का नोटरियल शपथ पत्र।  
वांछित दस्तावेजों के अभाव में संबंधित ठेकेदार/फर्म संबंधित कार्य की निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा तथा उन्हें निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त वांछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सही तथा उपयुक्त पाये जाने/निर्धारित आर्हता को पूर्ण करने वाले निविदाकर्ता ही निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे तथा उन्हें कार्य के लिए निविदा प्रपत्र जारी किया जायेगा। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि/असत्यता/कपट पाये जाने/कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर निविदाकर्ता को कभी भी अयोग्य घोषित कर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

जिन ठेकेदारों/फर्मों को निगम के कार्यों के लिए आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, उन्हें निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन या निविदा प्रपत्र जारी करने या निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन या निविदा प्रपत्र जारी करने या निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा।

03. निर्धारित तिथि/समयावधि के उपरांत निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, निविदा प्रपत्र विक्रय नहीं किये जायेंगे और न ही प्राप्त निविदा पर विचार किये जायेंगे।
04. निविदा प्रपत्र क्रय हेतु निर्धारित शुल्क नगद/शासन नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट (जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी के नाम देय हो) द्वारा निर्धारित तिथि/समयावधि में ही जमा करना अनिवार्य होगा।



05. कार्यो के लिए कार्यवार पृथक-पृथक निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर. (जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी के नाम से देय हो) जमा करना अनिवार्य होगा। एफ.डी.आर. का फोटो कापी मान्य नहीं होगा/समायोजन मान्य नहीं होगा।
06. विज्ञापित कार्यो के लिए कार्यवार निविदा 03 लिफाफे में (निविदा प्रपत्र एवं अमानत राशि पृथक-पृथक लिफाफे में एवं इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बंद कर) स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही निर्धारित तिथि 03.07.2020 को कार्यालयीन समयावधि सायं 05.30 बजे तक जमा करना होगा। अन्य रीति से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। कार्य के लिए निर्धारित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा/प्रेषित करना अनिवार्य है। नकद राशि स्वीकार नहीं किया जावेगा।
07. निविदा खोलने की कार्यवाही दौरान मूल निविदा एवं अमानत राशि जमा वाला लिफाफे में से प्रथमतः अमानत राशि जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने के उपरांत ही मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि जमा नहीं पाये जाने पर मूल निविदा (निविदा प्रपत्र) जमा वाला लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित निविदाकर्ता का जमा/प्राप्त निविदा निरस्त माना जायेगा।
08. कार्य सम्पादन/कार्य के लिए श्रमिकों के नियोजन के संबंध में श्रम विभाग के प्रचलित नियमों का पालन करना होगा। अनुबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य पर नियोजित श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान करना होगा।
09. विज्ञापित कार्यो की निविदा में भाग लेने वाले किसी भी ठेकेदार द्वारा निविदा की प्रस्तुती यह विवक्षित करती है कि उसने निविदा की सूचना एवं समस्त शर्तों तथा अन्य संविदा दस्तावेजों को पढ़ लिया है एवं इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1970, भारतीय मानकों किये जाने वाले कार्य के क्षेत्र विनिर्देश, मानक एवं प्रक्रिया के संबंध में स्वयं को सतर्क कर लिया है। स्वयं की पहुंच से कार्य स्थल आदि की जाँच कर ली है एवं स्वयं को स्थल के कार्य आदि की उपयुक्तता एवं उपलब्धता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है तथा स्वयं को खदानों पर सामग्री की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट कर लिया है।
10. निविदा सूचना पत्र/एन.आई.टी. की सभी निर्धारित शर्तें निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी शर्तों के अलावा बंधनकारी होगी।
11. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा आवश्यकतानुसार निविदा शर्तों में संशोधन/परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. निविदाकार/फर्म को अपनी निविदा दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा। काट-छाट अथवा ओव्हर राईटिंग की हुई अस्पष्ट निविदा अस्वीकार की जावेगी।
13. कार्य सम्पादन के लिए छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के प्रचलित/विज्ञापन में उल्लेखित एस.ओ.आर. अनुसार निविदा दर प्रतिशत आधार पर प्रस्तुत करना होगा। सम्पादित कार्य का देयक कार्य से संबंधित एस.ओ.आर. के अनुसार भुगतान योग्य होगा।
14. निविदा दर एस.ओ.आर. से अत्याधिक कम प्राप्त होने पर शासन के प्रचलित नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस गारंटी राशि नियमानुसार एफ.डी.आर. के रूप में सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। उपरोक्त राशि को उपरोक्त समयावधि में जमा न कराने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
15. कार्य के लिए जमा परफार्मेंस गारंटी राशि संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन/कार्य पूर्णता उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।




16. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी का किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. प्राप्त निविदायें खोलने, निविदायें लिस्टिंग किये जाने के उपरांत सफल निविदाकार एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। द्वितीय न्यूनतम निविदाकार की अमानत राशि प्रथम/सफल निविदाकार द्वारा कार्यानुबंध कराये जाने के उपरांत तथा सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढंग से कार्य सम्पादन एवं कार्य के अंतिम देयक भुगतान उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
18. ठेकेदार को निविदा दर की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यानुबंध निष्पादन करना होगा। अन्यथा स्थिति में कार्य के लिए संबंधित ठेकेदार/फर्म की जमा अमानत राशि राजसात कर कार्य सम्पादन हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
19. कार्यदेश उपरांत ले-आऊट दिये जाने पर निर्देशित स्थल में कार्य तत्काल प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्य में लगने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी। निगम द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री न तो प्रदाय की जावेगी और न ही उसे प्राप्त करने में सहायता की जावेगी।
20. सभी स्थिति कार्यानुकूल होने के पश्चात् भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण/सम्पादित नहीं किये जाने पर पी.डब्ल्यू.डी. के प्रचलित नियमानुसार या अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड/पेनाल्टी आरोपित कर, देयक से राशि कटौती किया जायेगा।
21. ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़े जाने की स्थिति में नियमानुसार शेष कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर कार्य पूर्ण कराया जायेगा एवं शेष कार्य की मूल्यांकित/लागत राशि का 10 प्रतिशत राशि ठेकेदार के पूर्व देयक (यदि देयक भुगतान नहीं किया गया हो) से कटौती कर अथवा उनकी अमानत/सुरक्षा निधि/परफार्मेंस गारंटी राशि को राजसात कर अथवा नगर पालिक निगम अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत निगम के बकाया करों/शुल्को/भू-राजस्व की वसूली की तरह/रीति से वसूली की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में रिस्क एण्ड कास्ट पर या इस रीति से जिन निविदाकारों/ठेकेदारों के कार्यों की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, उन्हें निगम के किसी भी कार्य के लिए निविदा में भाग लेने से अपात्र/वंचित किया जा सकेगा।
22. ठेकेदार को कार्य का सम्पादन संबंधित साईट इंजीनियर के दिशा निर्देश में निविदा/अनुबंध शर्तों, कार्य का प्राक्कलन, निर्धारित मापदण्ड/गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार करना होगा। कार्य निर्धारित गुणवत्ता युक्त नहीं होने पर उसमें निर्देशानुसार आवश्यक सुधार/मरम्मत कार्य करना होगा। उक्त मरम्मत/सुधार कार्य के लिए ठेकेदार को अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय/भुगतान योग्य नहीं होगा। सुरक्षा राशि 05 प्रतिशत (प्रत्येक चल से) रोकੀ जावेगी। इसी प्रकार शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार देय विभिन्न करों की कटौती करते हुए सम्पादित कार्य/देयक का अधिकतम 90 प्रतिशत राशि चल देयकों के माध्यम से भुगतान की जावेगी।
23. The Security Deposit of the contractor to the extent of 50% shall be refunded on his getting the completion certificate, provided that the recoveries outstanding against him are realised. Balance 25% of the amount shall be refunded after 4 months in case of building work and 6 months in case of Road work of completion of work, even if the final bill is not passed, balance 25% shall be refunded after the final bill is passed.

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ नया रायपुर के पत्र क्रमांक/या.प्र. /निर्देश/203/2017/6476/रायपुर, दिनांक 03.06.2017 द्वारा दिये गए निर्देश अनुसार उपरोक्त शर्त निविदा प्रपत्र के फार्म "ए" के क्लॉस 39 के रूप में सम्मिलित/प्रावधानित माना जावें।



24. कार्य के दौरान विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार कार्य की लागत में कमी या वृद्धि निविदा प्रपत्र "ए"/पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी।
25. निविदा प्रपत्र "ए" के क्लॉस 11 अनुसार स्कालेशन देय नहीं होगा।
26. विज्ञापित सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण कार्य फ्लोटर, वाईब्रेटर का अनिवार्य रूप से उपयोग करते हुए कार्य सम्पादित करना होगा। इसी प्रकार 03 मीटर से अधिक चौड़ाई के सी.सी. रोड निर्माण में चैनल वाईब्रेटर का उपयोग करते हुए कार्य सम्पादित करना होगा।
27. एम 30 ग्रेड सीमेट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य का मिक्स डिजाईन अधिकृत शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
28. सम्पादित कार्य का गुणवत्ता, परीक्षण (Test Report) नियमानुसार शासन के मान्यता प्राप्त संस्थान से कराकर टेस्ट रिपोर्ट समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार आर.सी. सी. कार्य में BIS से एप्रूव्ड निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित छड़/स्टील का प्रयोग करना होगा तथा क्रय की गई छड़/स्टील का स्वसत्यापित बिल भी कार्य का देयक तैयार करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
29. शासन से स्वीकृति/अनुदान प्राप्ति/राशि की उपलब्धता के अनुसार सम्पादित कार्य का देयक भुगतान किया जायेगा।
30. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य सम्पादन उपरांत स्थल/कार्य का अलग-अलग एंगल से 03-03 कॉपी में उच्च गुणवत्ता का फोटोग्राफ (फोटोग्राफ में कार्य के पूर्ण एवं स्पष्ट नाम लेखन सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
31. निविदाकर्ता/ठेकेदार को कार्य स्थल पर कार्य का विस्तृत विवरण (कार्य का नाम, योजना/मद, कार्य की लागत आदि) दर्शाते एक बोर्ड लगाना आवश्यक होगा।
32. अनुबंधकर्ता ठेकेदार को कार्य के संबंध में शासन के निर्धारित शर्तों, निविदा शर्तों, निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में निगम द्वारा नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी। निविदा/कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
 कार्यपालन अभियंता  
 नगर पालिक निगम धमतरी